फॅरिस्ट और ट्री कवर बढ़ रहा हैं और टेंथ प्लान के एंड में 25 परसेंट जो हमारा कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया हैं, उसको हम अचीव कर लेंगे ।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, deforestation is one of the great disasters that afflicts the country, causing desertification, species' destruction, erosion which has just been mentioned by the Minister of Agriculture, and all-round disaster.

Sis, the Minister's assertion that the forest cover in this country has grown is not, unfortunately, borne out, cr, not accepted by environmentaliste They, in fact, are very worried on the basis of satellite photographs that the forest cover is shrinking. May I ask the Minister, first of all, whether his assertion that the forest cover is growing is based on the latest satellite imaging technology and, secondly, is he closely monitoring the progress of the schemes—and the schemes that he has mentioned are extremely good—to ensure that we are able to reach our target of 25 per cent?

श्री नमों नारायण मीणा : सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त हैं, यह बात सही हैं जैसा मैंने पहले बताया कि फारेस्ट कवर के ऊपर एग्रीकल्वर का प्रैशर हैं, माइनिंग का प्रैशर हैं, पॉपुलेशन का प्रैशर हैं । लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी रिपोर्ट छपी हैं उसमें फारिस्ट कवर बढ़ा हैं, घटा नहीं हैं । जो भी सारी रिपोर्ट छपी हैं, वह सेटलाइट इमेजरी प्रोसैस के आधार पर छपी हैं ।...(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : यदि यह रिपोर्ट ही पढ़नी हैं तो वह रिपोर्ट हमारे पास ही हैं । मंत्री जी यहां रिपोर्ट पढ़ रहे हैं । पूरा देश जानता हैं कि फॅरिस्ट घट रहा हैं । ये कह रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट में बढ़ गया हैं । ...(**व्यवधान**)

Disbursement of subsidies to BPL, poor and marginal farmers

*286, SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that main recipients of subsidy are surplus producting farmers of five States from where procurement is done at the prices set by Government;

(b) if so, whether the disbursal of subsidy can be improved with a view to ensuring the BPL consumers/small and marginal farmers get the intended benefit of subsidies; if not, the reasons therefor; and

(c) whether the modern Information Technology could be harnessed to achieve disbursement of subsidies for the BPL, poor and marginal consumers?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SKRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Food Corporation of India (FCI) and State Agencies procure foodgrains at Minimum Support Prices (MSP) from all categories of farmers, including small and marginal farmers, all over the country. Procured foodgrains are issued at subsidized rates through the Targeted Public Distribution System (TPDS) and other welfare schemes of the Government of India. The Consumer subsidy for TPDS in respect of the five major procuring States was Rs. 5692 crore in 2004-05, which represents 29% of the total consumer subsidy.

(c) With a view to streamlining and making the issue of subsidized foodgrains under the TPDS more effective, the FCI is computerizing the stock management under the Integrated Information System for Foodgrains Management (HSFM) project at a total project outlay of 97 crore. A Pilot Project of introduction of "Smart Cards" in the TPDS covering one district each in the States of Himachal Pradesh, Kerala and Madhya Pradesh has also been undertaken.

श्री विजय जे. दर्डा : धन्यवाद आदरणीय महोदय, मुझे बहुत दुख हो रहा हैं **...(व्यवधान)**

श्रीसभापति : मुझे भी बहुत दुख हो रहा हैं कि आप दुखी हैं । **...(व्यवधान)**...

श्री विलय जे.दर्डा : माननीय मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से इस सवाल का जवाब दिया गया हैं, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं । यह एक गंभीर विषय हैं कि जो बी.पी.एल., पुअर और मार्जनल फार्मर्स हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाती हैं । जो अनाज प्रोक्योर होता हैं वह सब बड़े फार्मस्र से होता हैं और वे ही लोग सारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं । तो यह जो जवाब दिया गया है वह हमको बिल्कुल संतुष्ट नहीं करता हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके पास ऐसा कोई मकेनिज्म हैं या व्यवस्था बनाई हैं जिससे आप गरीब मार्जनल फार्मर्स के लिए कुछ करने वाले हैं ? आप प्रतिदिन देखते हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं । उनका कारण भी यही हैं । माननीय मंत्री जी, इसका जवाब दें ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अलिलेश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, जो हम लोगों ने उत्तर में दिया हैं, उसमें मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कंज्यूमर सब्सिडी देती हैं और कंज्यूमर सब्सिडी में जो इन्होंने सवाल उठाया हैं कि जो 5 स्टेट्स हैं, वहीं ज्यादा हिस्सा चला जाता हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिन 5 स्टेट्स का इन्होंने जिक्र किया हैं –आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, हरियाणा,-पंजाब और उत्तर प्रदेश जहां से ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता हैं, वहां परसंटेज ऑफ सब्सिडी केवल 29 परसेंट। अगर अलग-अलग स्टेट का ब्यौरा माननीय सदस्य को चाहिए तो आंध्र प्रदेश का उसमें 10 परसेंट हिस्सा हैं, छत्तीसगढ़ का हिस्सा 3 परसेंट हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : वह नहीं चाहिए उनको।

श्री विजय जे. दर्डा : सर, वह भी चाहिए। मंत्री जी, आप हमको गुमराह कर रहे हैं। **...(व्यवधान)**...

डा.अखिलेश प्रसाद सिंह : आपने जो प्रश्न पूछा हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विलय जे. दर्डा : नहीं-नहीं, मेरा सवाल यह नहीं था, मैंने सब्सिडि के बारे में **...(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : आप जिस स्टेट से आते हैं, आपने जिन पांच स्टेटों का जिक्र किया हैं, अगर उसमें से उत्तर प्रदेश को हटा दिया जाये, तो महाराष्ट्र का जो हिस्सा हैं, वह 9 परसेंट हैं। इस प्रकार 4 स्टेट से ज्यादा महाराष्ट्र को मिलता हैं। तमिलनाडु मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं हैं, उसको 10 परसेंट फूड सब्सिडी मिलती हैं। **...(व्यवधान)**...

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मेरा प्रश्न यह नहीं हैं। **...(व्यवधान)**... मैंने कहा था कि आप जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, वह बड़े किसानों से करते हैं और उन्हीं को उसका लाभ मिलता हैं।

डा.अलिखलेश प्रसाद सिंह : सर, भारत सरकार प्रोक्योरमेंट अमीर-गरीब और **...(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, माननीय सदस्य सवाल क्या पूछ रहे हैं और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं ? उनका नीतिगत प्रश्न हैं और मंत्री जी खाली महाराष्ट्र का प्रतिशत दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। **...(व्यवधान)**...

श्री सभाति : आप बैठ जाइये। **...(व्यवधान)**...

डा.अखिलेश प्रसाद सिंह : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं आपको पैंशेंस तो रखना चाहिए। **...(व्यवधान)**... आप उत्तर सुनने के लिए धैर्य तो रखिये। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप उनको बोलने दीजिए । ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं हैं । ...(**व्यवधान**)... आप मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

डा.अखिलेश प्रसाद सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कि बताया 69 प्रतिशत सबसिडी का हिस्सा दूसरे राज्यों को जाता हैं और जो छोटे-छोटे 9 राज्य हैं, उनका 2 परसेंट जाता हैं । इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेजर स्टेट को ही सबसिडी का हिस्सा जाता हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री विलय जे.दर्डा : सर, मैं पूछ क्या रहा हूं और मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं ? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए । आप पहले संतुष्ट हो जाइये, फिर बोलिएगा । ...(**व्यवधान**)...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सारे प्रदेशों में जो कंज्युमर सबसिडी जाती हैं, उसके सारे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं । सभापति महोदय **...**(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक हैं, आप बाद में बता दीजिएगा ।

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मुझे दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना हैं ।

श्री सभापति : ठीक हैं । सेकेंड भी ऐसा ही होगा, जैसा पहला था ।

श्री विजय जे. दर्डा : नहीं सर । इसमें मैं आपको अमेरिका ले जा रहा हूं । ...(**व्यवधान**)... सर, अगर हम यू. एस. की पूअर की परिभाषा दें – वहां पर आदमी अपनी वन-थर्ड इन्कम को खाने पर खर्च करता हैं, तो वह पूअर कहलाता हैं, जबकि इंडिया के अंदर 95 परसेंट लोग उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं । चीन में यह स्टैंडर्ड 60 परसेंट हैं, इस हिसाब से हमारी 80 परसेंट जनता पूअर हैं । फिर भी, एक सर्वे के मुताबिक 20 प्रतिशत जनता करे फूड सेक्योरिटी नहीं हैं, ऐसा आया हुआ हैं । क्या सरकार ने अभी कोई सर्वे कराया हैं जिससे यह पता चल सके कि फूड सेक्योरिटी के हिसाब से, कैलरी के हिसाब से पर्याप्त खाना नहीं मिलने वाले ऐसे लोगो को पीडीएस से लाभ पहुंचाने की कोई योजना बना रहे हैं ?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया हैं मैं । उनको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की प्राथमिकता हैं, जो टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार हैं, उनको 50 परसेंट पर चावल और गेहूं मुहैया कराने का काम करते हैं । अंत्योदय अन्य योजना में 75 परसेंट सबसिडी पर दो रुपये गेहूं और ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मैं आपका प्रोटक्शन चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आपका प्रोटक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रोटक्शन आपको भी दूंगा और इनको भी दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे दर्डा : सर, मैंने पूछा क्या हैं और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं ? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपको प्रोटक्शन की जरूरत नहीं हैं। प्रोटक्शन बीपीएल परिवारों को चाहिए। **...**(**व्यवधान**)...

डा.अखिलेश प्रसाद सिंह : उनको 38-40 परसेंट सबसिडी देकर खाद्यान्न कराते हैं और जब से यूपीए सरकार आई हैं तब से मैं कह सकता हूं कि इस देश में भूख से कोई नहीं मरे, यह हमारा संकल्प हैं और इस संकल्प के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं।

श्री विजय जे. दर्डा : मंत्री जी, आपकी मजबूरी क्या हैं, यह तो बता दीजिए। **...**(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपकी मजबूरी क्या है, यह बता दीजिए। **...**(**व्यवधान**)**...**

श्री विजय जे. दर्डा : मंत्री जी, अपनी मजबूरी बता दें कि क्यों नहीं वे जवाब दे रहे हैं ?

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to increase the prices of PDS products meant for people who are living Below Poverty Line; and whether it is also considering to decrease the quantity of PDS products meant for people living Above Poverty Line. Here, I would like to mention that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Government of India not to increase the prices of commodities sold through the PDS I have seen so many reports in newspapers that in the North-Eastern States diversion of foodgrains meant for PDS to the open market has been detected. Tamil Nadu has been in the forefront in efficient running of the PDS. We are going to give a requisition. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to ban diversion of foodgrains to the open market and avoid this type of situation.

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, पहले भी इसका उत्तर इस सदन में दिया जा चुका है। भारत सरकार ने पहले जो फैसला किया था, सैंट्रल ईशू प्राइस बढ़ाने का, तमिलानडु के चीफ मिनिस्टर ने और कई दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने लिखा था और अभी फैसला हुआ हैं कि प्राइस बढ़ाने का जो फैसला था, उसको पोस्टपोन किया जाए। अभी पिछला जो प्राइस हैं, उसी पर हम लोग टारगेटिड पीडीएस में अनाज उपलब्ध करा रहें हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : धन्यवाद महोदय, मैं माननीय सदस्य को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हैं। माननीय कृषि मंत्री जी, अगर आप इसका उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि मेरा प्रश्न "सी" से संबंधित हैं। जो सब्सिडी के माध्यम से हम टारेगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एड्रेस करते हैं, लेकिन यह जमीनी हकीकत हैं- माननीय कृषि मंत्री जी, आप तो जानते होंगे, आपका बहुत अनुभव हैं-कि जमीन पर ये सारे जो फूडग्रेन्स आ रहे हैं,, वे वांछित लोगों के हाथ में नहीं पहुंच रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा पिलफरेज हैं। इसके बारे में एक समवेत दिशा-निर्देश बहुत आवश्यक हैं। मैंने आपका उत्तर देखा हैं। आपने एक पायलट प्रोजेक्ट मात्र 97 करोड़ का, कुछ कम्प्यूटराइजेंशन की बात की हैं। सम्भवतया इस दिशा में कुछ और चिंता करने की आवश्यकता है। पूरे देश में यही स्थिति आ रही हैं कि पिलफरेज टारगेटिड पीडीएस से बहुत ज्यादा हो रहा हैं।

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या हैं ?

श्री रवि शंकर प्रसाद : स्वयं दिल्ली में हो रहा हैं, नजमा जी ने बताया, हम सभी सुनते रहते हैं। मेरा प्रश्न हैं कि क्या सरकार इस दिशा में, इस पूरी चिंता को गंभीरता से लेते हुए, नियमों-से परिवर्तन करने की मॉनिटरिंग करने के बारे मे कोई नया मैकेनिज्म लाने के बारे में विचार कर रही हैं ?

श्री शरद पवार : सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डिमांड हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अनाज देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, आप भी मुस्करा रहें है। वह तो हम जानते हैं, वह तो संवैंधानिक स्थिति हैं। आपसे हम कुछ और अपेक्षा करते हैं।

श्री शरद पवार : यह बात सच हैं, इस सदन में मैंने कहा कि कई राज्यों में इसका डायवर्शन होता हैं। जो एलोकेशन पूरे स्टेट्स को दिया गया हैं और जो छोटे लोगों को देने की आवश्यकता हैं, वह जिम्मेदारी राज्य सरकार की हैं। उस जिम्मेदारी का पालन ठीक तरह से नहीं होता हैं। यह इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले इस सदन को दी थी कि For instance, in the North-Eastern States, there is diversion to the extent of hundred per cent, which is very, very serious. This is one. States like Bihar and some other जहां 81 परसेंट आपक डायवर्शन हैं। इसी काम के लिए मैंने हर राज्य के फूड सेक्रेटरी और फूड मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई और उनको यह बतलाया गया कि हम बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देते हैं, किसानों को और अधिक कीमत देने की आवश्यकता हैं, वह कीमत बढ़ाने की आवश्यकता होने के बावजूद हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किसानों के द्वारा करने के बाद, उनके पास से प्रोक्योरमेंट करने के बाद, जिन वर्गों के बाद, जिन वर्गो के हितों की

रक्षा करने के लिए अनाज राज्य को दिया जाता हैं, उसका अगर ठीक तरह से उपयोग नहीं होगा, तो यह बात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इसलिए इस पर आपको सख्ती से निगरानी रखने की आवश्यकता हैं । यह बात हर राज्य सरकार को, उनके फूड सप्लाई मिनिस्टर्स को और साथ-साथ फूड सेक्रेट्रीज़ को बुलाकर कही गयी हैं, उनको लिखित रूप से भेजी गयी हैं । इसके अलावा हम हर तीन महीने में इसका रिव्यू लेने का प्रोसैस अभी शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें नुकसान न हो ।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, बहुत-सी बातें लोगों ने पूछ ली, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर, जो दक्षिण भारत हैं, उसमें पीडीएस सिस्टम एक हद तक ठीक हैं । क्योंकि किसानों को सब्सिडी दी जाती हैं, उसके बाद सबसे बड़े गरीब लोगों के लिए सस्ते अनाज का बंटवारा हैं, या देना हैं, वह बहुत बड़ी सुविधा हिन्स्तान के गरीबों के लिए हैं । इसमें जरूरत इस बात की हैं कि आपने भी इसकों कई बार सदन में कहा हैं, मैं यह मानता हूं कि जहां मुख्य मंत्री के हाथ में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम रहता हैं, वहां अनुभव कुछ दूसरे हैं । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मामले में फूड सेक्रेटरीज़ की नहीं, मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर, प्रधान मंत्री जी और आप इस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई पहल करेंगे ?

श्री शरद पवार : हर स्टेट के मुख्य मंत्री को हमने इस बारे में लिखा हैं और उनकी मीटिंग बुलाने का जो सुझाव हैं, इसको भी हम स्वीकार करते हैं ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, पिछले तीन वर्षों से राज्य सभा के इस प्रांगण में इस विषय पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार इस पर चर्चा हुई हैं । सरकार ने अपने आश्वासन देने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी और खाद्यान्न गरीब के पास पहुंचे, उसकी स्थिति में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया हैं । मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न को आप गंभीरता से लें । आपकी समस्याएं भी मैं थोड़ी बहुत समझता हूं, सरकार की समस्याएं भी हैं, लेकिन हम सबकी यह जिम्मेदारी हैं कि गरीब के लिए निकाला हुआ अनाज गरीब के पेट के अंदर पहुंचे ।

*287. *[The questioner (Shri Raj Kumar Dhoot) was absent For answer vide page* 29.]

Consumer helpline

*228. SHRI N.R. GOVINDARAJAR: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether a National Consumer Helpline has been set up to provide help, information and counseling to the consumers on the matters relating to their exploitation;

(b) if so, the details thereof;